

20899





सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp


Certificate No. : IN-UP12663208299347T
Certificate Issued Date : 22-Jul-2021 01:12 PM
Account Reference : NONACC (BK)/ upbobbk02/ VIBHUTI KHAND/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPBOBBK0213571093670018T
Purchased by : VIJAY KUMAR GUPTA
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : FLAT NO 2A/T8-504/(2BHK +S) MANDIKINI ENCLAVE AWADH
VIHAR YOJNA, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) : 5,24,000
(Five Lakh Twenty Four Thousand only)
First Party : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
Second Party : VIJAY KUMAR GUPTA
Stamp Duty Paid By : VIJAY KUMAR GUPTA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 5,24,000
(Five Lakh Twenty Four Thousand only)



Please write or type below this line



क्रेता



विक्रेता

QT 0001711843





आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-९, पंचम तल, वृन्दावन योजना लखनऊ

संख्या ११३६६/सं०प्र० अवध विहार योजना/विक्रय विलेख/2BHK+Study फ्लैट सं०-2A/T8-504/दिनांक 24/7/2021

सेवा में,

श्री विजय कुमार गुप्ता
पुत्र स्व० भरतराम गुप्ता
निवासी-जगमोहन सदन, ईसापुर सदर,
जौनपुर, उ०प्र०

विषय : मंदाकिनी एन्क्लेव 2BHK का फ्लैट संख्या-2A/T8-504 के विक्रय विलेख पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित मंदाकिनी एन्क्लेव 2BHK+Study का फ्लैट संख्या-2A/T8-504 का विक्रय विलेख रू० 5,24,000.00 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार, सरोजनी नगर, लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि फ्लैट का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(नृपेन्द्र बहादुर सिंह)
सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

पृ०सं०






/उक्त/

तद् दिनांक

प्रतिलिपि :-सब रजिस्ट्रार, सरोजनी नगर, लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित मंदाकिनी एन्क्लेव 2BHK+Study का
फ्लैट संख्या-2A/T8-504

संकेत नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					<p>क्रेता / प्रस्तुतकर्ता श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व० भरतराम गुप्ता निवासी-जगमोहन सदन, ईसापुर सदर, जौनपुर, उ०प्र०</p> 	 <p>क्रेता</p>
					<p>विक्रेता सम्पत्ति प्रबन्धक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ</p>	 <p>विक्रेता</p>
					<p>Arun mistra</p>	
					<p>योजना सहायक उ०प्र० आवास एव विकास परिषद लखनऊ</p>	

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 24 माह 7 वर्ष 21 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्षिणी है और सम्मिलित हैं।

एक पक्ष और श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व० भरतराम गुप्ता निवासी-जगमोहन सदन, ईसापुर सदर, जौनपुर, उ०प्र० जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में अवध विहार योजना नामक मुहल्ले के सेक्टर-2ए में निर्मित एस.एफ.एस. 2013 बहुमंजिलीय योजना के मंदाकिनी एन्क्लेव 2BHK+STUDY का फ्लैट संख्या-2A/T8-504 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने ₹ 74,83,500.00 (₹ चौहत्तर लाख तिरासी हजार पाँच सौ मात्र) जिसका आधा ₹ 37,41,750.00 (₹ सैंतीस लाख इक्तालीस हजार सात सौ पचास मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त फ्लैट्स (संख्या-2A/T8-504) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव ₹ 74,83,500.00 (₹ चौहत्तर लाख तिरासी हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट संख्या-2A/T8-504 क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

- 1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- 2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

क्रमशः 2 पर


क्रेता



विक्रेता

(2)

उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।

- 4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
- 5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
- 6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे, उक्त परिषद से यथा प्रस्तावित भूखण्डों/प्लॉटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं हेतु पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-
 - (क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।
 - (ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- 7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या-2A/T8-504) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.50% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

क्रमशः 3 पर


क्रेता


विक्रेता

क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

- 9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या-2A/T8-504 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।
- 10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।
- 11) क्रेता को फ्लैट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू0 1545.00 प्रति माह "कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। मंदाकिनी एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह आवंटी को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक आवंटी को बनना अनिवार्य होगा।
- 12) सुपर एरिया पर एक रूपया एवं पैसे दस प्रति वर्ग फुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख-रेख, सफाई, विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स और को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। सीढ़ियों, बरामदा, पार्किंग स्थान, पाक्र, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवार सिस्टम का रख-रखाव (एस0टी0पी0) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होगी।
- 13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।


क्रमशः 4 पर


क्रेता


विक्रेता

- 15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 16) क्रेता द्वारा विद्युत खण्ड-प्रथम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, में निर्धारित प्रीपेड मीटरिंग/सर्विस कनेक्शन/सिक्वोरिटी मद में धनराशि जमा की जा चुकी है तदनसुार विद्युत खण्ड-प्रथम से विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं से व्यय लिया जा सकता है परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे **मंदाकिनी एन्क्लेव** के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- 17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मिन्टेनेन्स मरम्मत पेन्टिंग ट्यूबवेल मरम्मत कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर,नाली एस0टी0पी0 एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा वह आवंटियों के मध्य विभाजित एवं देय होगा।
- 18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- 19) क्लब, ओपेन एरिया पार्किंग आदि कामन एरिया उ0प्र0 अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।
- 20) फ्लैट्स के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट्स की चारो दिवारों से लगे हुये फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।
- 21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 23) क्रेता द्वारा विभिन्न मदों में किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।

क्रमशः 5 पर


क्रेता


विक्रेता

अनुसूचित "क"
विक्रय की गयी सम्पत्ति का विवरण
वार्ड:-

प्रतिफल की धनराशि (रूपये में)
मूल्य रू० **74,83,500.00**
स्टाम्प पेपर रू० **5,24,000.00**


उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रू० **74,83,500.00** ब्याज/दण्ड ब्याज रू० **0.00** कुल रू० **74,83,500.00** आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोट:- (1) अतः शासनादेश सं० वि० क० नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश सं० 772/स्टाम्प-लिपिक-2015 दिनांक 15-12-2015 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रू० **5,24,000.00** के ई-स्टैम्प प्रमाण पत्र संख्या-IN-UP12663208299347T DATE 22/07/2021 पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोट:- (2) आवंटित फ्लैट्स सं० **2A/T8-504** का जो निर्गत पत्र संख्या-2027 दिनांक **04-07-2020** छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या-13/संख्या-क०नि० 7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जाना था परन्तु एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, तथा कब्जा दिया जाना प्रदत्त है।

अवध विहार योजना नामक मोहल्ले के
सेक्टर-2ए में निर्मित मंदाकिनी एन्क्लेव का फ्लैट संख्या-2A/T8-504
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1	भूमि का प्रकार	:	गुप हाउसिंग
2	मोहल्ला/ग्राम	:	अवध विहार योजना
3	सम्पत्ति का विवरण	:	फ्लैट्स सं० 2A/T8-504
4	टावर नं०	:	T-8
5	फ्लोर संख्या	:	5th
6	प्रकार	:	2BHK+STUDY
7	भूमि की माप	:	48.03 वर्ग मीटर
8	फ्लैट्स का निर्मित क्षेत्रफल	:	109.30 वर्ग मीटर
9	फ्लैट्स का सुपर एरिया	:	130.52 वर्ग मीटर
10	फ्लैट्स का प्रकार	:	आवासीय फ्लैट
11	कुल क्षेत्रफल	:	130.52 वर्ग मीटर
12	कुल कर्वड क्षेत्रफल	:	109.30 वर्ग मीटर
13	स्टेट्स फिनिशड/सेमी फिनिशड/अन्य	:	फिनिशड
14	प्रतिफल की धनराशि	:	74,83,500.00
15	मूल्य	:	74,83,500.00
16	बाउन्ड्री आफ दा फ्लैट्स संख्या	:	उत्तर फ्लैट्स सं० 2A/T8-501 दक्षिण 6.0 M WD. DRIVE WAY पूर्व फ्लैट्स सं० 2A/T8-503 पश्चिम 6.0 M WD. DRIVE WAY


क्रेता


विक्रेता

आवेदन सं०: 202101041027429

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 20899

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 7483500 स्टाम्प शुल्क- 524000 बाजारी मूल्य - 7483500 पंजीकरण शुल्क - 74840 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 74900

श्री विजय कुमार गुप्ता,
पुत्र श्री स्व० भरतराम गुप्ता
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: जगमोहन सदन, ईसापुर सदर, जौनपुर, उ०प्र०

Signature



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/07/2021 एवं 12:26:30 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature
निर्मल सिंह


उप निबंधक :सरोजनीनगर

लखनऊ

26/07/2021

ओम प्रताप सिंह

निबंधक लिपिक



“ अनुसूची -ख ”

जिसके साक्ष्य में श्री नृपेन्द्र बहादुर सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक परिषद की ओर से और उसकी ओर से श्री विजय कुमार गुप्ता आशयिता संख्या-2A/T8-504 के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

क्रेता के हस्ताक्षर
क्रेता



138
रिषद की ओर से एवं उसके लिए
सक्षम अधिकारी
विक्रेता

1. साक्षी ह0 Arun Mishra
नाम:- Arun Mishra
पता:- Kamalabad Badauli
Lucknow

1. साक्षी:- ह0
नाम:-
पता:-

2. साक्षी ह0
नाम:-
पता:-

2. साक्षी:- ह0
नाम:-
पता:-



योजना सहायक
आवास एवं विकास निदेश-
लखनऊ

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 20899


वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के द्वारा नृपेन्द्र बहादुर सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक अधिकारी उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ

ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं हैं और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।



क्रेता: 1

श्री विजय कुमार गुप्ता, पुत्र श्री स्व० भरतराम गुप्ता

निवासी: जगमोहन सदन, ईसापुर सदर, जौनपुर, उ०प्र०

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अरुण मिश्रा, पुत्र श्री राम शरण मिश्रा

निवासी: कमलाबाद, बढौली, लखनऊ, उ०प्र०

व्यवसाय: नौकरी



पहचानकर्ता : 2

श्री संदीप कुमार कनौजिया, योजना सहायक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ

निवासी: उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

निर्मल सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ

ओम प्रताप सिंह
निबंधक लिपिक

IS 15700:2005




Sevottam Certified

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION-21
U.P.A.V.P. OFFICE COMPLEX SECTOR-9
VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW

SITE PLAN

NAME OF SCHEME:- MANDAKINI ENCLAVE, SECTOR-2A, AVADH VIHAR YOJNA LUCKNOW
NAME OF ALLOTTEE:- VIJAY KUMAR GUPTA
FLAT No. :- 2-A/T-8/S.4
TOWER No. :- T-8
FLOOR No. :- 5
SUPER AREA OF FLAT:- 120.522

45.0 M. WD ROAD



30.00 M WD ROAD



LOCATION

NORTH...2-A/T-8/S.4
SOUTH...6-C.M.WD DRIVEWAY
EAST...2-A/T-8/S.4
WEST...6-C.M.WD DRIVEWAY

विक्रता

क्रता

अजय
सहायक अभियन्ता

मनोज कुमार कंठ
अवर अभियन्ता

अरुण कुमार शिवालय
D/MAN

18-00 M.

आवेदन सं०: 202101041027429

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6768 के पृष्ठ 301 से 316 तक क्रमांक
20899 पर दिनांक 26/07/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

26/07/2021

